


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/01/2022	<p>प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिविर खोथावाली में पेश होकर प्रार्थी श्री भगताराम पुत्र श्री कृष्ण साकिन जोड़किया 83 एलएनपी ने रा.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दरखास्त पेश की है कि चक 37 एमओडी की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 खाता सं. 6 में भगताराम पुत्र कृष्ण दर्ज रिकॉर्ड है जबकि इनका सही नाम भगताराम पुत्र श्रीकृष्ण है। अतः इनका नाम भगताराम पुत्र श्रीकृष्ण करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। सतेन्द्रपाल सिंह, प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 खोथावाली व युनुस खान, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, आदर्श प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, खोथावाली द्वारा गवाही दी गई कि भगताराम पुत्र कृष्ण व भगताराम पुत्र श्रीकृष्ण दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। सरपंच ग्राम पंचायत 83 एलएनपी पंचायत समिति पदमपुर जिला श्री गंगानगर द्वारा पहचान कर प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों, सरपंच द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र, दो सरकारी कार्मिकों की गवाही तथा उपतहसीलदार गोलुवाला रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा चक 37 एमओडी के खाता सं. 6 में भगताराम पुत्र कृष्ण की जगह भगताराम पुत्र श्रीकृष्ण नाम शुद्ध किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार पीलीबंगा पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसलाशुमार हो दाखिल दफ्तर की जाती है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) पीलीबंगा